

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 29 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 17^७23 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 29 जनवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 29 जनवरी शनिवार को कुल राशि रूपये 17ए23ए958६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 29 जनवरी शनिवार को संपत्तिकर शिविर से 303022ए जलकर शिविर 32000ए वसूली दल 91770 कुल 123770ए कम्पाउडिंग 1287866ए बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 1300ए गंदगी करने पर 8000 इस तरह कुल राशि रूपये 17ए23ए958६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

नए भारत की गाथा एरंगोली के माध्यम से करें साझा
हनुमान ताल पर आज रांगोली प्रतियोगिता का आयोजन

रतलाम 29 जनवरी । आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रानंद उत्सव श के तहत आज 30 जनवरी रविवार को हनुमान ताल परिसर में प्रातः 11 बजे से रांगोली प्रतियोगिता का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि आनन्द उत्सव के तहत रांगोली प्रतियोगिता का विषय स्वच्छताए पर्यावरण संरक्षणए प्लास्टिक प्रतिबंध रहेगा। आयोजित प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। रांगोली प्रतियोगिता के पश्चात आनंद उत्सव के आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण.पत्र प्रदान किये जायेंगे।

सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र

तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 28 दिसम्बर । शहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़कए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 3 सफाई मित्रो द्वारा 27

जनवरी गुरुवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 27 जनवरी गुरुवार को षेखर.मदनए राकेश.रमेश व सुनील.रत्न द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारीए दरोगा व सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 जनवरी । महु रोड बस स्टैण्ड की सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण किये जाने पर बस स्टैण्ड परिसर में कचरा एवं गंदगी पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व 2 सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा महु रोड बस स्टैण्ड का निरीक्षण करने पर परिसर में गंदगी व कचरा पाये जाने व नियमित रूप से सफाई नहीं होने पर स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़ेए वार्ड दरोगा ऋशि मोहनए सफाई मित्र अरूण व मनीश का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

गंदगी करने पर 7 दुकानें पर किया जुर्माना

मास्क नहीं लगाने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 29 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 जनवरी को 7 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर जुर्माना किया। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 15 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पी सिंह मोण् नं 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण् नं 7471144931, श्री किरण चौहान मोण् नं 7471144932, श्री विनय चौहान मोण् नं 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण् नं 7000128812, आकाश बिन्दे मोण् नं 9424075393, 7724981736, मनोज झांझोट मोण् नं 6268449110, राकेश ललावत मोण् नं 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

लक्कड़पीठा में सोमवार को लगोगा निगम का बकाया वसूली शिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 59^{७68} लाख व जलकर 12^{७80} लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 29 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकर ए दुकान ए गुमटी किराया ए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किस्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 3ए82ए093६ व जलकर 94ए240६ की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

8584 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 29 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राश्ट्रीय विधवा पेंशनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःषक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत

29 जनवरी शनिवार तक 8584 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85८84 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

29 जनवरी को 79 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 29 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 जनवरी शनिवार को 79 टन कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

29 जनवरी शनिवार को डम्पर से 21560ए टे^० कटर से 22740ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18065 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16815 किलो इस तरह कुल 79180 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 29 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राशि रुपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राशि रुपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 29 जनवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 29 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारः जसविहमन्तः 29/01/2022 नपा निगमए रतलाम